कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक............../जि.विधि,
[XXI-05/2000-13)]
दिनांक ....12.2013.

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :– **आदित्य कुमार दास,** भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
किशनगंज।

विषय :– **स्वत्व अपील वाद संख्या 30/1999 (स्वत्व वाद सं. 28/1993 से उद्भूत) – राज्य बनाम मो. खलील के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के न्यायालय से स्वत्व अपील वाद संख्या 30/1999 (स्वत्व वाद सं. 28/1993 से उद्भूत) – राज्य बनाम मो. खलील के संबंधित अभिलेख के reconstruct करने हेतु दिनांक 18.12.2013 तक संबंधित कागजात न्यायालय में दाखिल किये जाने की सूचना प्राप्त है, जो आपको भी प्रेषित है (प्रति संलग्न)।

अतः सरकारी वकील, किशनगंज से तुरंत समन्वय स्थापित कर उक्त वाद में निर्धारित तिथि दिनांक 18.12.2013 के पूर्व संबंधित न्यायालय में दायर अपील वाद से संबंधित आवश्यक कागजात समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वाद में सभी निर्धारित तिथि/तिथियों में ससमय उचित पैरवी करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह./–
(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 677/जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 14.12.2013

प्रतिलिपि :– विज्ञ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज को वाद में निर्गत सूचना के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– विज्ञ सरकारी वकील, किशनगंज को सूचनार्थ एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबन्धक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

14/12/13

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

E:\LEGAL\Letter.doc